Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. V, Issue IX, January-2013, ISSN 2230-7540

REVIEW ARTICLE

ब्रिटिश शासन की भू–राजस्व सम्बंधी नीति

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. V, Issue IX, January-2013, ISSN 2230-7540

ब्रिटिश शासन की भू–राजस्व सम्बंधी नीति

Dr. Raj Kumar

Ph.D. (History), NET

----------X----------

विचाराधीन काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था। कृषि देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी और कुल राष्ट्रीय आय का 60 प्रतिशत से भी अधिक भू–राजस्व से प्राप्त होता था। देश की अधिकांश जनता कृषि से सम्बंधित थी तथा ग्रामों में निवास करती थी। ग्रामों में परम्परागत स्वालम्बी अर्थव्यवस्था का प्रलचन था। भारत में राज्य द्वारा कृषि उत्पादन का एक भाग भू–राजस्व के रूप में प्राप्त करने की परम्परा स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था का प्रचलन था। भारत में राज्य द्वारा कृषि उत्पादन का एक भू–राजस्व के रूप में प्राप्त करने की परम्परा चिरकाल से प्रचलित थी। 1765 ई0 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाने पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भू–राजस्व वसूली की पुरानी पद्धति का ही अनुसरण किया। भू–राजस्व वसूली का कार्य देशी आमिलों के पास ही रहने दिया गया किन्तु भू–राजस्व की मात्रा में वृद्धि कर दी गई। 1764 ई0 में भी–राजस्व के रूप में वसूल की जाने वाली धन राशि 181,80,000 रुपये थी जो 1771 ई0 में बढ़कर 2,34,400,000 रुपये हो गई।

अंग्रेजों ने भारत में अनेक प्रकार की भव्यवस्थाओं का प्रचलन किया जिनका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है:

1. इजादेदारी व्यवस्था या ठेकेदरी व्यवस्था–

गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिोज के शासनकाल (1772–85 ई0) में कम्पनी ने लगान वसूली का कार्य अपने हाथों में ले किया। उसने भू–राजस्व की वसूली के लिए जिस प्रणाली का अनुसरण किया उसे इजारेदारी व्यवस्था अथवा ठेकेदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। प्रारम्भ में वारेन हेस्टिग्ज ने भू–राजस्व का पंचवर्षीय प्रबन्ध किया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत पर उन ठेकेदारों को दे दिया जाता था, जो कम्पनी की सबसे अधिक धनराशि देने के लिए तैयार हो जाते थे। किन्तु यह व्यवस्था अत्यधिक दोषपूर्ण सिद्ध हुई। अतः 1777 ई0 का एक वर्षीय ठेके पद देने की प्राि प्रचलित की गई। सर्वाधिक बोली देने वालों को लगान वसूली के अधिकार दिए जाने के व्यवस्था 'इजारेदारीष के नाम से प्रसिद्ध हुई। लगान वसूली करने वाले ठेकेदारों को 'इजरेदारष कहा जाता था।

2. स्थायी बन्दोबस्त–

गर्वनर जरनल लार्ड कार्नवालिस ने 1793 ई0 में भू–राजस्व वसूली की एक नई पद्वति प्रचलित की जिसे 'स्थायी बन्दोबस्त' जमींदारी प्रथा अथवा 'इस्तमरारी बन्दोबस्त' के नाम से जाना है। स्थायी बन्दोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा , उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त के बनारस खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। इसके अन्तर्गत समस्त देश की लगभग 19 प्रतिशत भूमि सम्मिलित थी।

(प) स्थायी बन्दोबस्त की विशेषताएँ–

स्थायी बन्दोबस्त के द्वारा जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया और भूमि पर उनकी पेतृक अधिकार कर लिया गया। जमींदारों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला वार्षिक लगान स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया। उन्हें आदेश दिया गया कि किसानों से लगान रूप में वसूल की गई धन राशि का केवल 1/11 भाग अपने पास रखें और 10/11 भाग सरकार को सोंप दें। जमींदार भूमि को बेच सकते थे अथवा गिरवी रख सकते थे। किन्तु जमींदार द्वारा लगान की निधार्रित राशि का भुगतान न किये जाने पर सरकार उसकी भूमिका कुछ भाग बेचकर लगान बसूली कर सकती थी। स्थायी बन्दोबस्त के अर्न्तगत सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रहा। सरकार ने जमींदारें तथा किसानों के पारस्परिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया।

(पप) स्थायी बन्दोबस्त से लाभ–

स्थायी बन्दोबस्त एक सुविचरित एवं विवेकपूर्ण योजना का परिणाम था। निःसन्देह इस व्यवस्था से अनेक महत्वपूर्ण लाभ हुए।

(1) स्थायी बन्दोबस्त से सरकार को प्रतिवर्ष लगान निश्चित करने के झंझटों से छुटकारा मिल गया। बार–बार बन्दोंबस्त करने में धन का जो अपव्यय होता था, वह बच गया तथा समय की भी बचत हुई (2) सरकार की आय निश्चित हो गई। आय के सुनिश्चित हो जाने के कारण आर्थिक योजनाओं के निर्माण में सुविधा हो गई।

(3) कम्पनी के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष लगान की व्यवस्था करने से मुक्ति मिल गई

जिसके फलस्वरूप प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि हुई। (4) स्थाई बन्दोबस्त के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। जमींदार कृषि में रूचि लेने लगे क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होने पर भी उन्हें सरकार का पूर्व निर्धारित भू–राजस्व का ही भुगतान करना था (5) कम्पनी की आय में वृद्धि हुई। यद्यपि सरकार लगान में वृद्धि नहीं कर सकती थी किन्तु इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप उद्योग–धंधों एवं व्यापार–वाणिज्य में होने वाली प्रगति से सरकारी आय में वृद्धि होने लगी। (6) स्थायी बन्दोंबस्त से बंगाल की सम्पन्नता में वृद्धि हुई। बंगाल भारत का सर्वाधिक धनसम्पन्न प्रान्त बन गया। (7) स्थायी बन्दोंबस्त के कारण अंग्रेजों को जमींदारों के रूप में ब्रिटिश सम्राज्यवाद के

www.ignited.in

कटर समर्थक प्राप्त हो गए। वे ब्रिटिश साम्राज्य के शक्ति स्तम्भ ही सिद्ध नहीं हुए अपितु विदेशी शासन विरोधी आन्दोलनों के महान प्रतिरोध भी बनें।

(पपप) स्थायी बन्दोंबस्त की हानियाँ–

होम्ज तथा थॉर्नटन जैसे लेखकों के विचारानुसार स्थायी बन्दोंबस्त अनेक दोषों से परिपूर्ण था। होम्ज के शब्दों में–श्स्थायी बन्दोंबस्त एक दुःखद भूल थी "। इसके इनके अनेक दुःखद परिणाम हुए (1) स्थायी बन्दोंबस्त करते हुए सरकार ने किसानों के हित का कोई ध्यान नहीं रखा। उनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं रखा। वे पूर्ण रूप से जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। (2) इससे जमींदारों को हानि हुई। अनेक जमींदार सरकार को समय पर निर्धारित लगान का भुगतान नहीं कर सके; परिणामस्वरूप उन्हें उनकी भूमि से वंचित कर दिया गया। (3) आशा के विपरीत जमीदारों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यों में कोई रुचि नहीं ली। अत्यधिक धन सपन्नता ने उन्हें आलसी तथा विलासी बना दिया। उनमें से अधिकांश अनुपस्थित भूस्वामी बन गए जो बड़े–बड़े नगरों में निवास करते थे तथा जिन्हें किसानों के सुख–दुःख की कोई परवाह नहीं थी। (4) स्थायी बन्दोबस्त से सरकार को भी हानि हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने भी सरकार के लगान में कोई वृद्धि नहीं होती थी। जमींदार सरकार को पूर्वनिर्धारित राजस्व का ही भुगतान करता था। उत्पान वृद्धि का समस्त लाभ जमींदार की जेब में पहुँच जाता था। (5) स्थायी बन्दोबस्त ने सामाजिक असमानता की भावना को बढ़ावा दिया। इसने बंगाल में धनी तथा निर्धन लोगों की दो पृथक श्रेणियाँ स्थापित कर दी। (6) स्थायी बन्दोबस्त भारत में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास को ठेस पहुँचाई। इस व्यवस्था ने समाज में जमीदारों के रूप में एक शक्तिशाली वर्ग उत्पन्न कर दिया जो अन्तिम समय तक ब्रिटिश सत्ता का परमभक्त एवं कट्टर समर्थक बना रहा। इस वर्ग ने स्वयं को न केवल राष्ट्रीय आन्दोलन से ही पृथक रखा अपितु इसे पग–पग पर शक्तिहीन बनाने का भी प्रयास किया।

3. रैयतवाड़ी व्यवस्था–

19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में म्रदास तथा बम्बई प्रेसीडेन्सियों में भू–राजस्व की 'रैयतवाड़ी व्यवस्थाष् का प्रचलन किया गया जिसके प्रणता मद्रास के गर्वनर टामस मुनरो थे। यह व्यवस्था देश के लगभग 51 प्रतिशत भू–भाग पर लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार ने बन्दोबस्त जमींदार के स्थान पर सीधी रैयत अर्थात किसान से किया। इसके दो प्रमुख कारण थेः (1) मद्रास तथा बम्बई प्रेसीडेनसीयों में बंगाळ विहार के समान बडे–बडे जमीदारों का अस्तित्व नही था। जिनके साथ मालगुजारी सम्बंधी बन्दोबस्त किये जाते थे। (2) स्थायी बन्दोबस्त के अन्तर्गत लगान का निर्धारण स्थायीरूप से कर दिये जाने के कारण कृषि भूमि का विस्तार होने अथवा उत्पादन में वृद्धि होने से सरकार के लाभ में वृद्धि नहीं होती थी। अतः सरकार स्थायी बन्दोबस्त का विस्तार नहीं करना चाहती थी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसान को भूमि का स्वामी मान लिया गया और भूमि की उत्पादन शक्ति एवं उत्पादन के आधार पर लगान निर्धारित कर दिया गया। किसानों को सामन्यतया कुल उपज का 45 से 55 प्रतिशत लगान के रूप में देना पड़ता था। लगान का निर्धारण स्थायी रूप से नहीं किया गया। 20 से 30 वर्षों के पश्चात लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था और प्रत्येक पुनर्निर्धारण के द्वारा लगान की मात्रा पहले की अपेक्षा बढ़ा दी जाती थी।

रैयतवाड़ी व्यवस्था भी अनके दोषों से परिपूर्ण थी। सरकार किसानों से उनकी उपज का एक विशाल भाग भू–राजस्व के रूप में ले लेती थी, परिणामस्वरूप किसानों के पास जीवन निर्वाह के लिए कुछ अधिक नहीं बचता था। सरकारी कर्मचारियों को किसानों से किसी प्रकार सहानुभूति नहीं थी। वे अत्यधिक कठोरतापूर्वक लगान की वसूली करते थे। लगान का भुगतान ना किये जाने पर किसान को भूमि से वंचित कर दिया जा सकता था। सरकार किसी भी समय लगान में वृद्धि कर सकती थी।

4. महालवाड़ी व्यवस्था–

उत्तर–पश्चिमी प्रान्त, पंजाब तथा मध्य भारत के कुछ भागों में जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप प्रचलित किया गया जिसे महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सरकार व्यक्तिगत रूप से काश्तकार के साथ समझौता करने के स्थान पर समग्रतः पूरे ग्राम समाज के साथ समझौता करती थी। 'महालष् अथवा ग्राम के अलग–अलग भागों के मालिक अपनी–अपनी जमीन के लिए निर्धारित राजस्व का भाग आपसी समझौते के अनुसार अपने प्रतिनिध को दे देते थे जो सम्पूर्ण 'महालष् के राजस्व का भुगतान करने के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी था। इस प्रतिनिध को 'सदर मालगुजारष् कहा जाता था। अन्य भागीदार 'मालगुजारष् अथवा 'पट्टीदारष् कहलाते थे। चूँकि बन्दोबस्त का आधार 'महालष् अथवा 'मौजाष् था अतः इसे 'महालवाड़ीष् अथवा 'मौजावारीष् बन्दोबस्त के नाम से जाना जाता है। इस बन्दोबस्त के द्वारा 'संयुक्त उत्तरदायित्वष् की भावना को प्रोत्साहित दिया गया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भी माल गुजारी का समय–समय पुनर्निर्धारण किया जाना था।

इस प्रकार ब्रिटिश शासन काल में भूमि को व्यक्तिगत सम्पत्ति बना दिया गया जिसे बेचा जा सकता था, गिरवी रखा जा सकता था अथवा हस्तान्तरित किया जा सकता था। भूमि को क्रय–विक्रय योग्य पदार्थ बना दिये जाने से देश की प्रचलित भू–व्यवस्थाओं में मौलिक परिर्वतन हुए जिनसे ग्रामीण समाज का सम्पूर्ण ढांचा छिन्न–भिन्न होने लगा। वास्तव में अंग्रेजो द्वारा प्रचलित तीनों भू–व्यवस्थाएँ–स्थायी बन्दोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था–भारत की परम्परागत प्रथाओं के अनुकूल नहीं थी। स्थायी बन्दोबस्त अथवा जमीदारी प्रथा इंग्लैंड में प्रचलित सामंतवादी प्रथा का प्रतिरूप थी। रैयतवाड़ी फ्रांस में प्रचलित कृषक स्वामित्व करने की ओर महालवाड़ी भारतीय समुदाय का नकल मात्र थी। इस सभी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किसान को भू–राजस्व का भुगतान करने के लिए अपने उत्पादन के अधिकांश भाग से वंचित हो जाना पड़ता था। भू–राजस्व का भुगतान निर्धारित तिथि तक नकद रूप में किये जाने के कारण वह फसल के तत्काल पश्चात अपना उत्पादन बेचने को विवश हो जाता था। परिणाम स्वरूप उसे अपने उत्पादन का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता थां। अनुपस्थित जमींदारों का एक मात्र उद्देश्य अपनी नियोजित पूँजी से अधिकाधिक लाभ कमाना था। वे भूमि से दूर शहरों में निवास करते थे और प्रायः अपने लगान सम्बंधी अधिकार अन्य व्यक्तियों को सौप देते थे। वे ना तो किसानों के प्रत्यक्ष समर्थक थे और ना ही उन्हें किसानों से किसी प्रकार की सहानुभूति थी। ऐसे अनुपस्थित जमीदारों से कृषि को उन्नत करने, किसानों को प्रोत्साहन देने अथवा यथा समय किसानों की सहायता करने की आशा करना व्यर्थ था। सरकार ने भी कृषि को उन्नत करने, पैदावार को बढ़ाने एवं किसानों की दशा को सुधारने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया।

www.ignited.in

परिणामस्वरूप भारतीय जनता के बहुसंख्यक भाग कृषक वर्ग की दशा अत्यधिक दयनीय हो गयी अतः जैसा कि **प्रो0 बिपिन चन्द्र** ने लिखा है श किसान वर्ग को सरकार, जंमीदार या भूस्वामी और महाजन के तिहरे बोझ से कुचल दिया गया। इन तीनों द्वारा अपने हिस्से ले लेने के बाद इतना नहीं बचता था कि खेतिहर तथा उसके परिवार का निर्वाह हो सके।"

REFERENCE

Bhatia, B. M. : Famines in India, London, 1963

Bipan Chandra : The Rise and Growth of Economic Nationalism in India (1880-1905),New DElhi, 1966

Das, M. N. : Studies in Economic and Social Development of Modern India (1848-56), Culcutta, 1959.

Digby, William : Prosperous British India, London, 1901.

Dutt, R. C. : The Economic History of India.

Dutt, R. C. : The Peasantry of Bengal, Calcutta, 1874

Dutt, R. C. : Famines and Land Assessments in India

Hutchins, F.G. : The Illusion of Permanence British Imperialism in India .Princeton, 1967.

Kling, B.B. : The Blu Mutiny, The Indigo Disturbances in Bengal. 1859-62 Philadelphia, 1966.

Lajpat Rai : Unhappy India, Calautta,1928.

Lajpat Rai : England's Debt to India

Loveday, A : History of Indian Famines, London , 1914.

Ray, P. C. : Poverty Problem in India, Calcutta , 1895

Ray, P. C. : Indian Famines - Their Causes and Remedies, Calcutta , 1901.

Sanyal, N : Development of Indian Railways, Calcutta, 1930